न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 105/2019

1. राजा राम उर्फ कालू राम पुत्र आसा राम जाति मेघवाल निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्री करणपुर।

--वादी--

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी --

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

--निर्णय-- दिनांक : 27.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 17 एस की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 63 के मु.न. 16 व 27 में कुल रकबा 6.312 हैक्टर में से 0.520 हैक्टर नहरी/बारानी कृषि भूमि वादी व उसके भाईयों एवं परिवार के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी के नाम उक्त रकबा जरिए विरास्तन दिनांक 01.12.2005 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था, जिसमें वादी का नाम कालू राम पुत्र आसा राम जाति मेघवाल निवासी 36 एच नग्गी है, जबकि राश्न कार्ड, आधार कार्ड संख्या 818797319994, मतदाता पहचान पत्र संख्या आर.जे. 01/008/015121, मूल निवास प्रमाण पत्र में वादी का वास्तविक नाम राजा राम पुत्र आसा राम अंकित है। ग्राम पंचायत 36 एच नग्गी पंचायत समिति श्री करणपुर के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में वादी का नाम राजा राम उर्फ कालू राम है। वादी का नाम जमाबन्दी में कालू राम अंकित होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। सम्बन्धित विभाग में अपने दो नाम होने के सम्बन्ध में एवं अपनी पहचान बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त जमाबन्दी में अपना संशोधित करवाकर राजा राम उर्फ पुत्र आसा राम करवाना चाहता है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 14 एस माझीवाला की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 63 के मु.न. 16 व 27 में कुल रकबा 6.312 हैक्टर में से 0.520 हैक्टर नहरी/बारानी कृषि भूमि में वादी का नाम राजा राम उर्फ कालू राम पुत्र आसा राम जाति मेघवाल निवासी 36 एच नग्गी घोषित किया जावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 9141 दिनांक 04.02.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार उक्त अनवान प्रकरण में वादी का नाम का कालू राम पुत्र आसीया को राजा राम उर्फ कालू राम किया जाना उचित है।

एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, वाद पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा अपने वादपत्र में चक 17 एस की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 63 के मु.न. 16 व 27 में अंकित नाम कालू राम के स्थान राजा राम उर्फ कालू राम करवाने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थी का नाम राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, मूल निवास में राजा राम है। व सरपंच ग्राम पंचायत 36 एच नग्गी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रमाणित किया गया है कि राजा राम उर्फ कालू राम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जमाबन्दी में

नाम कालू राम पुत्र आसीया अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार राजा राम उर्फ कालू राम किया जाना उचित है। वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर तथा पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 17 एस की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 63 में अंकित नाम कालू राम पुत्र आसीया जाति मेघवाल के स्थान पर राजा राम उर्फ कालू राम पुत्र आसीया जाति मेघवाल अकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.02.27 15:38:32 IST
Reason: SelfAttested
Location: